

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

आदेश
296 (4) पटना, दिनांक 13/2/19
सं० सं०-4/विधि-08-138/2018
निदेशालय के आदेश ज्ञापांक-1184(4) दिनांक-29.09.2018 के द्वारा किए गए फार्मासिस्टों के स्थानांतरण में क्रमांक-22, 79, 91, 150, 151 एवं 172 पर अंकित फार्मासिस्टों का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर दरभंगा किया गया था। परन्तु वहाँ पर फार्मासिस्ट का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण उक्त क्रमांकों पर अंकित फार्मासिस्टों का स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर दरभंगा के स्थान पर सिविल सर्जन दरभंगा के निपटारे पर किया जाता है।

13/2/19
(डॉ० आर०डी० रजन)

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना। 13/2/19

ज्ञापांक-4/विधि-08-138/2018 (खण्ड) 296 (4) /स्वा०, पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि-संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल, बिहार/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेशित है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर विरमित करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा एक सप्ताह के उपरांत स्वतः विरमित समझे जायेगे।

प्रतिलिपि-संबंधित वरीय फार्मासिस्टों/फार्मासिस्टों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि-श्री ललित किशोर, विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिवनिदेशक प्रमुख के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/2/19

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।